रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265164
CG-DL-E-01082025-265164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3471]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 3471]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3557(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड”, जो जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत "हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित एक बोर्ड है, को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है , अर्थात:-

(क) राज्य या केन्द्र सरकार से अनुदान;

(ख) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्राप्त सहमति शुल्क;

(ग) विश्लेषण शुल्क या वायु परिवेश गुणवत्ता सर्वेक्षण शुल्क;

(घ) प्राधिकार शुल्क;

(ङ) उपकर प्रतिपूर्ति और उपकर अपील शुल्क;

(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;

(छ) बोर्ड के कर्मचारियों को दिए गए ऋण और अग्रिम पर ब्याज;

(ज) विविध आय जैसे पुरानी या स्क्रैप वस्तुओं की बिक्री, शर्तें, निविदा शुल्क, प्रतिभूति की जब्ती और उससे संबंधित अन्य मामले;

(झ) परीक्षण शुल्क;

(ञ) अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क;

(ट) सार्वजनिक सुनवाई शुल्क;

(ठ) मान्यता शुल्क;

(ड) सावधि जमा पर ब्याज.

2. यह अधिसूचना निम्न शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमशः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू मानी जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 127/2025/फा. सं. 300196/8/2025-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3557(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act,1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, "Haryana State Pollution Control Board", (PAN: AAAJH0446F), a Board constituted by the State Government of Haryana under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Grants from State or Central Governments;
(b) Consent fee received under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981;
(c) Analysis fees or air ambient quality survey fees;
(d) Authorization fees;
(e) Cess reimbursement and cess appeal fees;
(f) Fees received under RTI Act, 2005;
(g) Interest on loan and advances given to staff of board;
(h) Misc. Income such as sale of old or scrap items, terms, tender fees, forfeiture of security and other matters relating thereto;
(i) Testing fees;
(j) NOC fees;
(k) Public hearing fees;
(l) Recognition fees;
(m) Interest on fixed deposit.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Haryana State Pollution Control Board-

(a) shall not engage in any commercial activity;
(b) activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial years; and
(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been apply for the Financial Year 2024-25 and shall apply with respect to the Financial Years 2025-26, 2026-27, 2027-28 and 2028-29.

[Notification No. 127 /2025/F. No. 300196/8/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265163
CG-DL-E-01082025-265163

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3472]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947**
No. 3472]	**NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

का.आ. 3558(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, 'अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद', नई दिल्ली (पैन: AAAJA1571E) को उस परिषद को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) सरकार/सरकारी निकायों से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी;

(ख) नियामक शुल्क;

(ग) आरटीआई शुल्क तथा परीक्षा शुल्क;

(घ) सीएमएटी/जीपीएटी शुल्क;

(ङ) बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज;

(च) विविध प्रभार/प्राप्तियां

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्षों 2024-25 से 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्षों 2023-24 से 2024-25 तक के लिए संगत होगी तथा निर्धारण वर्षों 2026-27 से 2028-29 के लिए लागू होगी तथा वित्तीय वर्षों 2025-26 से 2027-28 तक के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 128 /2025/फा. सं. 300196/18/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, अवर सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्व व्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

S.O. 3558(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'All India Council for Technical Education', New Delhi, (PAN: AAAJA1571E), a Council established by the Central Government, in respect of the following specified income arising to that Council, namely:-

(a) Grants/subsidies received from the Government/Govt. bodies;
(b) Regulatory Charges;
(c) RTI fee and Examination fee;
(d) CMAT/GPAT fee;
(e) Interest on bank deposits
(f) Miscellaneous charges/receipts

2. This notification shall be effective subject to the conditions that All India Council for Technical Education, New Delhi-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2024-2025 to 2025-2026 relevant for the financial years 2023-2024 to 2024-2025 and shall be applicable for assessment year 2026-2027 to 2028-2029 relevant for the financial year 2025-26 to 2027-28.

[Notification No. 128 /2025/F. No. 300196/18/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01082025-265165
CG-DL-E-01082025-265165

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3473] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2025/श्रावण 10, 1947
No. 3473] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2025/SHRAVANA 10, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2025

(आयकर)

का.आ. 3559(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा 'पश्चिम बंगाल नगर पालिका विकास निधि ट्रस्ट', (पैन: AAATW1661P)' पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात:-

(क) बैंक जमा पर से आर्जित ब्याज,
(ख) शहरी स्थानीय निकायों को सावधी ऋण पर ब्याज।
(ग) अग्रिम प्रसंस्करण शुल्क

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि पश्चिम बंगाल नगर पालिका विकास निधि ट्रस्ट -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) उसकी गतिविधियां और विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्षों 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भी संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 129 /2025/फा. सं. 300196/44/2024-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2025

(Income-tax)

S.O. 3559(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'West Bengal Municipal Development Fund Trust' (PAN: AAATW1661P), a Trust constituted by the State Government of West Bengal, in respect of the following specified income arising to that Trust, namely:-

(a) Interest from Bank deposits,

(b) Interest on Term loan to Urban Local Bodies,

(c) Upfront processing fees.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that West Bengal Municipal Development Fund Trust -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for financial years 2021-2022, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and shall also apply with respect to financial year 2025-26.

[Notification No. 129/2025/F. No. 300196/44/2024-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA